राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर,

अपील संख्या :– 296/2023

नरेन्द्र सिंह (कर्मचारी आई.डी.– आरजेजेजे201423019956)

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 19.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री उम्मेद सिंह तंवर, अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी ने अपनी अपील में यह तथ्य अंकित किये हैं कि अपीलार्थी की नियुक्ति चयन प्रक्रिया अपनाकर फिजियोथैरेपिस्ट के पद पर सितंबर 2014 में की गई थी, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 15.09.2014 को कार्यग्रहण किया। आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी को बीडीएम, चिकित्सालय कोटपुतली जयपुर से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भिवाड़ी, जिला अलवर में कार्यव्यवस्था में स्थानांतरण किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 22.09.2021 को कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण करने के पश्चात अपीलार्थी को आदेश दिनांक 07.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन वापिस कार्यव्यवस्था समाप्त करते हुए जिला चिकित्सालय, कोटपुतली में पदस्थापन किया गया तथा अपीलार्थी ने दिनांक 07.02.2022 को जिला चिकित्सालय, कोटपुतली में कार्यग्रहण किया।उसके पश्चात आदेश दिनांक 15.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण बीडीएम जिला चिकित्सालय, कोटपुतली जयपुर से एसडीएच भिवाड़ी, अलवर में स्थानांतरण किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के समक्ष दिनांक 19.07.2022 को उपस्थित होकर कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने अपीलार्थी को पद रिक्त नहीं होने के कारण निदेशालय में आदेशों की प्रतिक्षा में पदस्थापन किया। जिसकी पालना में

अपीलार्थी ने दिनांक 21.07.2022 को निदेशालय जयपुर में कार्यग्रहण किया। उसके पश्चात आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा प्रत्यर्थी सं. 2 ने अपीलार्थी का पदस्थापन निदेशालय, जयपुर से आदेशों की प्रतिक्षा से बीडीएम अस्पताल, कोटपुतली, जिला जयपुर में किया गया। जिसकी पालना में अपीलार्थी ने दिनांक 03.09.2022 को बीडीएम चिकित्सालय कोटपुतली, जिला जयपुर में फिजियोथैरेपिस्ट के पद पर कार्यग्रहण किया। कार्यग्रहण के 4 माह 11 दिवस की अल्पावधि में ही वापिस अपीलार्थी का 1 वर्ष में पांचवा स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी को एडजस्ट करने के लिए आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन जिला चिकित्सालय, कोटपुतली, जिला जयपुर से जिला चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में अपीलार्थी का नाम अंकित करते हुए अपीलार्थी के स्थान पर ही बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये पदस्थापन किया गया है। जबकि नरेन्द्र सिंह चौधरी के नाम का जिला चिकित्सालय, सवाई माधोपुर में कोई भी फिजियोथैरेपिस्ट कार्यरत नहीं है। जो अवैध व अनुचित है तथा विधि विरूद्ध है।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से यह तर्क रहा है कि अपीलार्थी का अल्प समय में बार–बार स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।

4. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। आदेश दिनांक 15.09.2021 के द्वारा अपीलार्थी को कोटपुतली से अलवर कार्यव्यवस्थार्थ लगाया गया था। इसके पश्चात् अपीलार्थी का स्थानांतरण आदेश दिनांक 15.07.2022 के द्वारा अलवर किया गया था, परंतु अलवर में पद स्वीकृत नहीं होने के कारण अपीलार्थी को अलवर में कार्यग्रहण नहीं कराया जा सका। ऐसे में अलवर में किया गया स्थानांतरण प्रभाव में नहीं आ सका है। इसके पश्चात् अपीलार्थी का कोटपुतली से अलवर स्थानांतरण कर पुनः कोटपुतली में रखे जाने को स्थानांतरण होना नहीं माना जा सकता। यह भी नहीं माना जा सकता कि अपीलार्थी का बार–बार स्थानांतरण किया गया है।

5. प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन बीडीएम जिला चिकित्सालय, कोटपुतली, जयपुर में कार्यरत है। प्रशासनिक आवश्यकताओं में कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर ली जानी है, इसके निर्णय का अधिकार प्रत्यर्थी विभाग को है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 532**) के

प्रकरण में राजकीय कार्मिकों के स्थानान्तरण के विषय में निम्न प्रकार अवधारित किया है :–

"In our opinion, the Courts should not interfere with transfer orders which are made in public interest and for administrative reasons unless the transfer orders are made in violation of any mandatory statutory rule or on the ground of malafide. A Government servant holding a transferable post has no vested right to remain posted at one place or the other, he is liable to be transferred from one place to the other. Transfer orders issued by the competent authority do not violate any of his legal"

सेवाविधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि स्थानान्तरण सेवा का एक अभिन्न तत्व होता है। स्थानान्तरण करना नियोक्ता का अधिकार है और अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है, इस कारण स्थानान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है।

5. जहाँ तक अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 6 को समंजन (accommodate) करने का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **शिल्पी बोस बनाम बिहार राज्य** (**ए.आई.आर. 1991 एस.सी. 552**) में समंजन (accommodate) के संदर्भ में यह अवधारित किया है कि :–

> *"If the competent authority issued transfer orders with a view to accommodate a public servant to avoid hardship, the same cannot and should not be interfered by the Court merely because the transfer order were passed on the request of the employee concerned."*

6. उपर्युक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने से कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के इसी प्रक्रम पर खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)